न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द

(श्याम लाल गुर्जर, आई.ए.एस. जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्या 26/2016

दायर दिनांक : 02.11.2016

आदेश दिनांक : 13.08.2018

अनवान

श्री नारायणलाल पिता देवकिशन जी पालीवाल,उम्र वयस्क निवासी प्रतापपुरा तहसील व जिला राजसमन्द

.....निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत भावा जरिये सरपंच/सचिव,ग्राम पंचायत भावा
2 श्री हरिश पिता खेमराज जी कुमावत निवासी प्रतापपुरा तहसील व जिला राजसमंद

.....विपक्षीगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम,1994 पट्टा विलेख संख्या 3663 दिनांकः 08.12.2010 जारी द्वारा ग्राम पंचायत भावा से व्यथित होकर

उपस्थितः–

1 श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता, निगराकार
2. अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित
3. श्री दिग्विजयसिंह, अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2

निगराकार की ओर से यह निगरानी याचिका ग्राम पंचायत, भावा द्वारा दिनांक 08.12.2010 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3663 को निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थी/निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत भावा द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपित पट्टा अवैध रुप से जारी किया गया हैं। सरपंच एवं सचिव से मिली भगत कर विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया हैं। पट्टा नियम 157 के तहत पुरानी आबादी में बने मकान का ही जारी किया जाता हैं जबकि यह पट्टा भूखण्ड का जारी किया गया हैं जो नियमों के विपरीत हैं। पट्टे के लिए प्रार्थी ने कोई आवेदन ही नहीं किया था। ग्राम पंचायत ने सारी कार्यवाही एक ही दिन में संपादित कर दी। सचिव के कहीं पर भी हस्ताक्षर ही नहीं हैं और सम्पूर्ण पत्रावली श्री गणेश के नाम से चली हैं जिसे काटकर बाद में विपक्षी संख्या 2 श्री हरीश के नाम से फर्जी तरीके से यह

कार्यवाही की गयी हैं जो नियमों के विपरीत हैं। इस प्रकार पंचायत द्वारा नियमों की पालना किये बगैर ही यह पट्टा जारी किया है जो निरस्त होने योग्य हैं।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत, भावा से पत्रावली तलब की गई।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बहस में बताया कि ग्राम पंचायत भावा द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपित पट्टा अवैध रुप से जारी किया गया हैं। सरपंच एवं सचिव से मिली भगत कर विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया हैं। पट्टा नियम 157 के तहत पुरानी आबादी में बने मकान का ही जारी किया जाता हैं जबकि यह पट्टा भूखण्ड का जारी किया गया हैं जो नियमों के विपरीत हैं। पट्टे के लिए प्रार्थी ने कोई आवेदन ही नहीं किया था। ग्राम पंचायत ने सारी कार्यवाही एक ही दिन में संपादित कर दी। सचिव के कहीं पर भी हस्ताक्षर ही नहीं हैं और सम्पूर्ण पत्रावली श्री गणेश के नाम से चली हैं जिसे काटकर बाद में विपक्षी संख्या 2 श्री हरीश के नाम से फर्जी तरीके से यह कार्यवाही की गयी हैं जो नियमों के विपरीत हैं तथा यह भी निवेदन किया गया कि नियम–157 अन्तर्गत राजस्थान पंचायतीराज नियम,1996 के तहत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में बने हुए पुराने मकानों के विनियमितीकरण के पट्टे जारी किये जाने का प्रावधान हैं जबकि उक्त मामले में ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम के अन्तर्गत जो पट्टा जारी किया गया हैं,उस पट्टे की भूमि पर कोई पुराना मकान बना हुआ नहीं होकर मात्र भूखण्ड हैं। विपक्षी संख्या 2 के द्वारा भूखण्ड के पट्टे हेतु कोई आवेदन ही पेश नहीं किया हैं। आवेदन पर भी कांट छांट कर बिना तारीख की कोरम पर सरपंच ने सम्पूर्ण पत्रावली पर हस्ताक्षर कर पट्टा जारी कर दिया हैं। शपथ–पत्र भी विपक्षी संख्या 2 का नहीं होकर गणेश का हैं तथा पट्टे पर सचिव के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। पंचायत की सम्पूर्ण पत्रावली में गणेश के नाम पर कांट छांट कर विपक्षी संख्या 2 श्री हरीश का नाम लिखा गया जबकि इस हरीश के द्वारा पट्टे हेतु पंचायत में कोई विधिवत तरीके से आवेदन ही नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी आक्षेपित पट्टे को निरस्त कराना फरमावें।

विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए विपक्षी संख्या 2 के पक्ष पट्टा जारी किया गया हैं जो सही हैं। निगरानी याचिका आधारहीन होने से खारिज कराना फरमावें।

उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस पर मनन, विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पेश की गई निगरानी याचिका में मुख्य आधार यह लिया गया कि ग्राम पंचायत भावा द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा नियमों के विपरीत हैं तथा पंचायत द्वारा नियमों की कोई पालना नहीं की गयी

तथा न तो पत्रावली पर विपक्षी संख्या 2 का कोई आवेदन ही नहीं हैं। पंचायत द्वारा राज0 पंचायतीराज नियम,1996 में वर्णित प्रकिया की भी कोई पालना नहीं की गयी। मौका स्थिति की सही जांच भी नहीं की गयी और आपत्ति आव्हान पत्र भी जारी नहीं किया गया तथा सम्पूर्ण पत्रावली की कार्यवाही में कांट छांट कर नियमों के विपरीत उक्त पट्टा जारी किया गया हैं जो खारिज किये जाने योग्य हैं। ग्राम पंचायत भावा की पत्रावली के अवलोकन से भी यह प्रमाणित हैं कि उक्त पट्टे की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विपरीत की गयी हैं। सम्पूर्ण पत्रावली में कांट छांट की हुई हैं तथा विपक्षी संख्या 2 का नाम श्री गणेश के स्थान पर कांटकर पत्रावली में लिखा गया साथ ही पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 2 का पट्टे के सम्बंध में कोई आवेदन ही नहीं हैं और न ही इसके द्वारा कोई शपथ–पत्र पेश किया हैं। पत्रावली में आज्ञा सूची भी बिना तारीख की हैं जो एक ही दिन में तैयार किया जाना एवं पंचायतीराज नियमों की अवहेलना किया जाना प्रकट करता हैं। ऐसी स्थिति में मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूँ कि ग्राम पंचायत भावा द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपित पट्टा गलत तरीके से एवं नियमों के विपरीत जारी किये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य हैं।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, भावा द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 08.12.2010 को जारी पट्टा संख्या 3663 को निरस्त किया जाता है।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 13.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द